अध्याय-2 योजना

2.1 प्रस्तावना

उपयुक्त योजना को किसी भी कार्यक्रम की सफलता हेतु एक आधारभूत आवश्यकता के रूप में माना गया है। तदनुसार, योजनाएं प्रमाण-आधारित होनी चाहिए। इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सं.स्व.अ./नि.भा.अ. ने स्वच्छता एवं स्वास्थ्यकर आदतों, जिला/ग्रा.पं. स्तर पर मुख्य कार्मिकों के अभिविन्यास तथा परियोजना कार्यान्वयन योजना तथा वार्षिक कार्यान्वयन योजना की स्थिति निर्धारण करने हेतु आधार-रेखा सर्वेक्षणों को शामिल किया।

2.2 परियोजना कार्यान्वयन योजनाएं तैयार करने में विसंगतियां

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन योजना (प.का.यो.) को निधीयन मानदण्डों में परिवर्तन के कारण संशोधन किया जाना था तथा परियोजना प्रस्ताव में जिलों के संबंध में उपलब्ध आधार रेखा सर्वेक्षण तथा नवीनतम जनगणना आंकड़ा को शामिल किया जाना था। प्रस्ताव को ग्राम पंचायत से प्राप्त किया जाना तथा ब्लॉक स्तर और फिर जिला स्तर पर संकलित किया जाना चाहिए था। परियोजना के संशोधन के प्रस्ताव को संबंधित विभाग द्वारा राज्य योजना मंजूरीदाता समिति (रा.यो.मं.सं.) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। रा.यो.मं.स. द्वारा इसकी स्वीकृति हो जाने पर, प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु मंत्रालय को प्रेषित किया जाना था। प.का.यो. को तैयार करने तथा स्वीकृति में पाई गई विसंगतियां निम्नानुसार थीं :

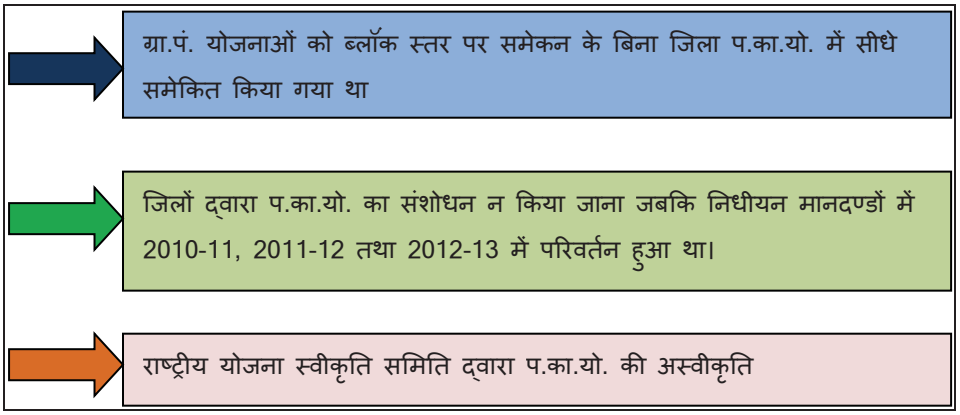

ब्यौरे **अनुबंध-2.1** में दिए गए हैं। प.का.यो. में लक्ष्यों के प्रक्षेपण में पाई गई अन्य विसंगतियां निम्नानुसार थीं:

क्र.सं.	राज्य	विसंगतियां
1.	अरूणाचल प्रदेश	4 नमूना जांच किए गए जिलों में आधार रेखा सर्वेक्षण 2012-13 के अनुसार ग.रे.नी. के परिवारों की कुल संख्या 30,831 थी। परंतु स्वीकृत प.का.यो. में लक्षित ग.रे.नी. के परिवारों की संख्या 41,074 थी। इस प्रकार, 10,243 अधिक ग.रे.नी. के परिवारों को स्वीकृत प.का.यो. में लक्षित दर्शाया गया था। अरूणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग, पूर्वी सिआंग तथा पश्चिमी सिआंग में, 2012 के आधार रेखा सर्वेक्षण के अनुसार 22,883 ग.रे.नी. के परिवार थे जिनमें से शामिल किए जाने वाले 8,182 परिवारों का शेष छोड़ते हुए 31.03.2012 तक 14,701 व्य.घ.शौ. का निर्माण किया गया था। तथापि, 3 उल्लेखित जिलों का 17,112 व्य.घ.शौ. इकाईयों (8,930 इकाईयों द्वारा बढ़ाया गया) हेतु प्रस्ताव किया गया।
2.	असम	यद्यपि प.का.यो. आधार रेखा सर्वेक्षण के आधार पर संशोधित की गई थी फिर भी 792744 व्य.घ.शौ. की आवश्यकता के प्रति केवल 628773 को प.का.यो. में प्रक्षेपित किया गया था। इस प्रकार, 163971 व्य.घ.शौ. को प.का.यो. में कम प्रक्षेपित किया गया था।
3.	झारखण्ड	राज्य के संशोधित प.का.यो. के अनुसार 51.60 लाख लक्षित ग्रामीण परिवार थे जिनमें से 15.82 लाख[1] परिवारों को मार्च 2012 तक पहले ही शामिल कर लिया गया था। इस प्रकार, शेष 35.78 लाख[2] परिवारों को लक्षित किया जाना था। तथापि, परियोजना मॉनीटरिंग इकाई (प.मा.इ.) ने अतिरिक्त 1.35

[1] ग.रे.नी.: 13,91,920 संख्याएँ तथा ग.रे.उ.: 1,89,833 संख्याएँ

[2] ग.रे.नी. 11,12,930 संख्याएँ तथा ग.रे.उ.:24,65,883 संख्याएँ

		लाख परिवारों के आवृतन का प्रस्ताव किया जिसने योग को 37.13 लाख[3] परिवार तक किया। इसके अतरिक्त, रामगढ़ जिले ने ग.रे.नी. के परिवारों हेतु पहले से निर्मित 8651 शौचालयों का प्रावधान किया।
4.	उत्तर प्रदेश	आधार रेखा सर्वेक्षण की तुलना पर प.का.यो. तैयार करते समय आठ जिलों[4] ने 6.36 लाख व्य.घ.शौ. की कम योजना की थी तथा पांच जिलों[5] ने 0.22 लाख व्य.घ.शौ. की अधिक योजना की थी।

मामला अध्ययन: मिजोरम

जिला जल एवं स्वच्छता समितियों ने आठ जिलों में ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में लाभार्थियों को शामिल करते हुए सं.स्व.अ./नि.भा.अ. परियोजनाओं की जिला प.का.यो. तैयार की जिन्हें राज्य वा.का.यो. में संघटित किया गया तथा रा.यो.अ.स. को प्रस्तुत किया गया था। कथित राज्य वा.का.यो., जिसमें अनियमित रूप से शहरी क्षेत्रों के लाभार्थी शामिल किए गए थे, को श.यो.मं.स. द्वारा स्वीकृत किया गया था।

इस प्रकार, यह जरूरतमंद जनसंख्या जो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में ग.रे.नी. की श्रेणियों से संबंधित थी जिन्हें अन्यथा योजना के अंतर्गत स्वच्छता सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा सकता था, के कम आवृतन का कारण बना।

इस प्रकार प.का.यो. को तैयार करने के अधोत्थान अर्थात् ग्रा.पं.यो. का ब्लॉक योजना में तथा योजना का जिला योजना में समेकन, की अनुपालना नहीं की गई थी।

[3] ग.रे.नी. 12,34,989 संख्याएँ तथा ग.रे;उ.: 24,78,370 संख्याएँ

[4] देवरिया, हरदोई, जालौन, कौशाम्बी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सीतापुर तथा वाराणसी जिले

[5] औरैया, बिजनौर, गोरखपुर, लखिमपुर खीरी, पीलीभीत जिले

2.3 वार्षिक कार्यान्वयन योजना

2.3.1 ग्रा.पं. योजना का ब्लॉक योजना तथा आगे जिला योजना में समेकन न किया जाना

वार्षिक कार्यान्वयन योजना (वा.का.यो.) का उद्देश्य निर्मल ग्रामों का सृजन करने हेतु एक प्रणालीगत पद्धति में कार्यक्रम को स्पष्ट दिशा प्रदान करना है। वा.का.यो. से निम्न अपेक्षित है:

क) वा.का.यो. के उद्देश्यों के प्रति पिछले वर्ष के दौरान नि.भा.अ. के उद्देश्यों को प्राप्त करने में राज्य द्वारा की गई प्रगति पर रिपोर्ट

ख) परिवर्तन, यदि कोई है, हेतु कारण तथा टिप्पणियां

ग) प्रस्तावित वित्तीय वर्ष हेतु नि.भा.अ. के प्रत्येक संघटक के अंतर्गत भौतिक तथा वित्तीय अनुमानों सहित कार्यों की एक योजना

घ) मासिक/त्रैमासिक प्रक्षेपित लक्ष्य

ड.) सफलता कहानियों, अच्छे कार्यों, प्रारम्भ किए परिवर्तनों, नई प्रौद्योगिकियों आदि पर लेख

वार्षिक योजनाओं को परियोजना उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु संतृप्त की जाने वाली ग्राम पंचायतों (ग्रा.पं.) की पहचान करके तैयार किया जाना है। इन ग्रा.पं. योजनाओं का ब्लॉक कार्यान्वयन योजनाओं में तथा आगे जिला कार्यान्वयन योजनाओं में समेकन किया जाना है। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (रा.ज.स्व.मि.) को उपयुक्त रूप से जिला कार्यान्वयन योजनाओं को राज्य कार्यान्वयन योजना के रूप में समेकित करना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 राज्यों के 73 (49 प्रतिशत) नमूना जांच किए गए जिलों में, ग्रा.पं. योजना को ब्लॉक तथा आगे जिला योजना में संघटित नहीं किया गया था जैसा **अनुबंध 2.2** में ब्यौरा दिया गया है।

2.3.2 अन्य विसंगतियां

बा.का.यो. को तैयार करने/संस्वीकृति में पाई गई अन्य विसंगतिया थीं

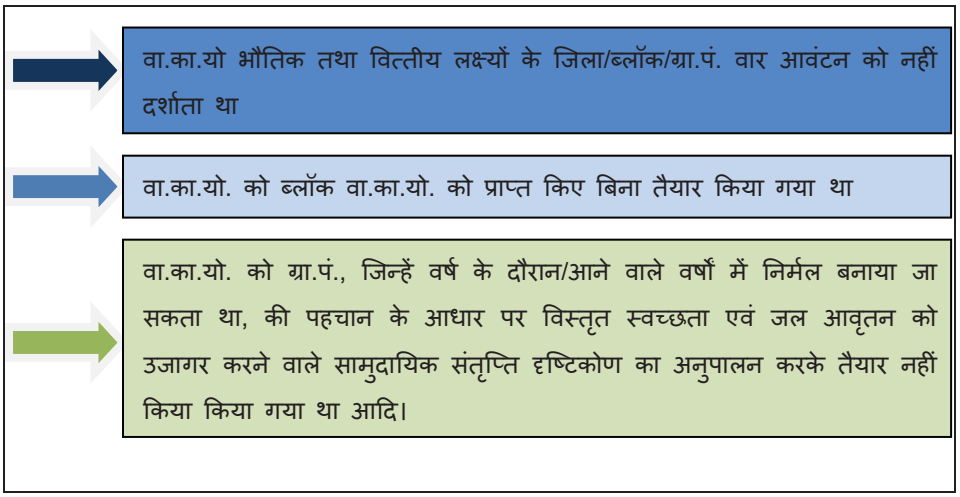

ब्यौरे **अनुबंध-2.3** में दिए गए हैं।

मामला अध्ययन: बिहार

(राज्य वा.का.यो. में जिला वा.का.यो. का गलत समेकन)

बिहार में 10 नमूना जांच किए गए जिलों में से नौ जिलों के बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन तथा जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा तैयार की गई वा.का.यो. में यह पाया गया था कि 2011-12 के दौरान जिला वार व्यय के आंकड़ों को राज्य वा.का.यो. में ₹24.82 करोड़ तक अधिक बताया गया था। इसके अतिरिक्त, उसी वर्ष के लिए गरीबी रेखा से नीचे (ग.रे.नी.) तथा गरीबी रेखा से ऊपर (ग.रे.ऊ) हेतु व्य.घ.शौ. के अंतर्गत प्राप्ति क्रमश: 86,798 तथा 18,911 इकाईयों के आधिक्य में थी। 2012-13 के दौरान, राज्य वा.का.यो. में दो जिलों के व्यय आंकड़ों को जिला वा.का.यो. से ₹2.29 करोड़ तक अधिक दर्शाया था। तथापि, तीन जिलों के लिए यह जिला वा.का.यो. से ₹7.99 करोड़ तक कम था। इसी प्रकार, 2012-13 के दौरान राज्य वा.का.यो. में ग.रे.नी. हेतु ब्य.घ.शौ. के प्राप्ति आंकड़ों को दो जिलों में 557 तथा तीन जिलों द्वारा ग.रे.ऊ. हेतु 494 तक अधिक बताया गया था। इसके अतिरिक्त, दो जिलों में जिला वा.का.यो. से राज्य वा.का.यो. में ग.रे.ऊ. तथा ग.रे.नी. हेतु व्य.घ.शौ. के प्राप्ति आंकड़ों को क्रमश: 2439 तथा 1804 तक कम बताया गया था।

2.4 लाभार्थियों के आवृतन में कमी

2.4.1 ग.रे.नी. के लाभार्थी

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन राज्यों (**जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय** तथा **नागालैण्ड**) के चयनित जिलों में ग.रे.नी. के परिवारों की व्य.घ.शौ. हेतु पहचान नहीं की गई थी। ग.रे.नी. के परिवारों के अन्य अनियमितताओं को **अनुबंध 2.4** में प्रगणित किया गया है।

2.4.2 ग.रे.उ. के लाभार्थी

लेखापरीक्षा ने पाया कि छः राज्यों (**बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मेघालय तथा नागालैण्ड**) के चयनित जिलों में ग.रे.उ. के परिवारों की व्य.घ.शौ. हेतु पहचान नहीं की गई थी। ग.रे.उ. के परिवारों के चयन में अन्य अनियमितताओं को **अनुबंध 2.5** में प्रगणित किया गया है।

2.4.3 लाभार्थियों के चयन में अन्य विसंगतियां

लाभार्थियों के चयन में पाई गई अन्य विसंगतियां थीं:

- लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन राज्यों (**जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल**) की चयनित ग्रा.पं. में परिवारों का चयन ग्राम सभाओं द्वारा स्वीकृत नहीं था।
- **अरूणाचल प्रदेश** में, जि.ज.स्व.मि. ने किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए पंचायत वार निर्माण किए जाने वाले व्य.घ.शौ. की संख्या को निर्धारित नहीं किया था परंतु जिला स्तर पर निदेशक, सं.घ.वि.ई./ज.स्व.स.सं. द्वारा जिलों हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।

- **मणिपुर** में, 2009-10 से 2013-14 के दौरान ₹ 46.64 करोड़ की लागत के 1,08,508 व्य.घ.शौ. का निर्माण किया जाना था परंतु 1,59,298 व्य.घ.शौ. की भौतिक उपलब्धि बताई गई थी। 50,790 व्य.घ.शौ. के अतिरिक्त निर्माण के लिए कारण एक पारदर्शी प्रकार से ग्रा.पं./ग्राम सभा अथवा सामान्य निकाय की बैठक द्वारा ग.रे.उ. तथा ग.रे.नी. के परिवारों की पहचान न होना बताया गया था।

2.4.4 संतृप्ति हेतु ग्रा.पं. का चयन

2.4.4.1 संतृप्ति हेतु ग्रा.प. का गैर चयन

नि.भा.अ. दिशानिर्देश अनुबंध करते है कि वा.का.यो. को संतृप्ति-पहलू का पालन करते हुए उन ग्रा.पं., की पहचान के आधार पर जिन्हें वर्ष के दौरान/आने वाले वर्षों में निर्मल बनाया जा सकता है, उनमें विस्तृत स्वच्छता एवं जल आपूर्ति की प्रचुरता पर विशेष ध्यान देकर तैयार किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना, 30 राज्यों की, 220279 ग्रा.पं. में कार्यान्वित की गई थी जिनमें से मंत्रालय ने 38941 तथा 26165 ग्रा.पं. को वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान खुला शौच मुक्त (खु.शौ.मु.) बनाने की योजना बनाई थी फिर भी वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान केवल क्रमश: 17346 ग्रा.पं. (44 प्रतिशत) 1274 ग्रा.पं. (4..8) प्रतिशत को खु.शौ.मु. बनाया गया था। राज्यवार ब्यौरे **अनुबंध 2.6** में दिए गए हैं।

आगे, यह पाया गया कि 13 राज्यों (**आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड मणिपुर, नागालैण्ड, पंजाब, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश**) में वर्ष 2013-14 के दौरान 4967 ग्रा.पं. की संतृप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य के प्रति किसी भी ग्रा.पं. को संतृप्त नहीं किया गया था।

2.4.4.2 अन्य विसंगतियां

ग्रा.पं. की संतृप्ति हेतु पाई गई अन्य विसंगतियां निम्नानुसार थीं:

- **अरूणाचल प्रदेश** में पश्चिम सिआंग जिले के अलावा संतृप्ति हेतु किसी ग्रा.पं. का चयन नहीं किया गया था।
- **उत्तर प्रदेश** के कुशीनगर जिले ने ग्रा.पं. को 2010-11 में व्य.घ.शौ. के साथ पहले से संतृप्त घोषित किए जाने के बावजूद ग.रे.नी. के परिवारों के, 2866 व्य.घ.शौ. के निर्माण हेतु 83 ग्रा.पं. को कुल ₹ 0.63 करोड़ की निधियां जारी की (2011-12)
- उत्तराखण्ड के 1455 ग्रा.पं. वाले अल्मोड़ा तथा यू.एस. नगर में संतृप्ति हेतु किसी भी ग्रा.पं. को लक्षित/प्रस्तावित नहीं किया था।

2.5 संरचनात्मक व्यवस्था

योजना के दिशानिर्देश राज्य में योजना के संचालन हेतु ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों, जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन तथा ब्लॉक अनुसंधान केन्द्रों के अतिरिक्त राज्यों में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशनों तथा जिलों में जिला जल एवं स्वच्छता मिशनों के गठन की अभिकल्पना करते हैं। लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

2.5.1 योजना की कमी: राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (रा.ज.स्व.मि.) की बैठकों में कमी

नि.भा.अ. दिशानिर्देश 2012 अभिकल्पना करते हैं कि रा.ज.स्व.मि. को एक वर्ष में कम से कम दो बैठक करनी चाहिए। बैठकें, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की तरह महत्वपूर्ण थी क्योंकि परियोजना जिलों में पर्यवेक्षण, सबंधित विभागों के साथ अभिसरण तथा प्रत्येक जिले हेतु वा.का.यो. तैयार करने के माध्यम से इसकी नि.भा.अ. के कार्यान्वयन में एक निर्णायक भूमिका थी।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था, कि 60 बैठकों की अनिवार्य आवश्यकता के प्रति सात राज्यों (**छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, राजस्थान, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश**) में कोई अभिलेखित बैठक नहीं की गई थी तथा 2012-14 के दौरान आठ राज्यों में केवल 12 बैठकें (20 प्रतिशत) की गई थीं। इन राज्यों में अपेक्षित/की गई बैठकों को नीचे दिए गए **चार्ट-2.1** में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.1 रा.ज.स्व.मि. की बैठकें

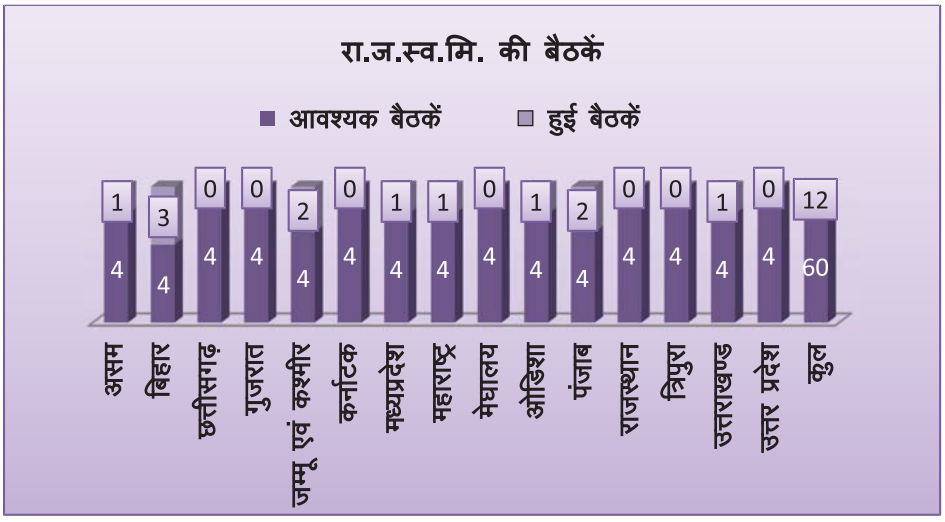

ब्यौरे **अनुबंध 2.7.1** में दिए गए हैं।

2.5.2 योजना की कमी: जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (जि.ज.स्व.मि.) की बैठकों में कमी

जि.ज.स्व.मि. से उपयुक्त सूचना शिक्षा तथा संचार (सू.शि.सं.) नीतियों तथा अन्य सबंधित विभागों के साथ अभिसरण सहित जिला नि.भा.अ. परियोजना की योजना तैयार करना तथा कार्यान्वित करना अपेक्षित था। इससे जिला वार्षिक कार्य योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्यक्रम कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा मॉनीटर करना अपेक्षित था। इस उद्देश्य हेतु मिशन को कम से कम तिमाही में एक बार बैठक करना अपेक्षित था। फिर भी यह पाया गया था कि 12 राज्यों के 71 जिलों में 568 बैठकों की आवश्यकता के प्रति 2012-14 के दौरान केवल 141 बैठकें (25 प्रतिशत) की गई थीं जैसा नीचे **चार्ट-2.2** में दर्शाया गया है:

चार्ट-2.2: जि.ज.स्व.मि. की बैठके

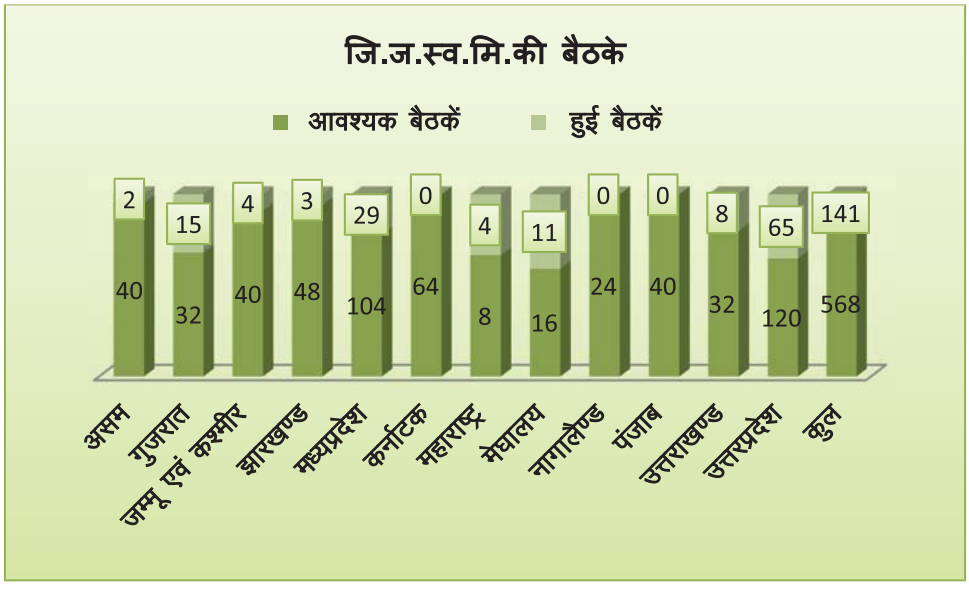

ब्यौरे **अनुबंध-2.7.2** में दिए गए हैं।

रा.ज.स्व.मि./जि.ज.स्व.मि. के संघटन में पाई गई अन्य विसंगतियां निम्नानुसार थीं:

राज्य	विसंगतियां
कर्नाटक	2009 में गठित रा.ज.स्व.मि. में शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, जल संसाधन, कृषि आदि विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया था। रा.ज.स्व.मि. के पंजीकरण के विवरण नोडल अभिकरण में अभिलेखों से उपलब्ध नहीं थे। सात[6] जिलों में जि.ज.स्व.नि. का गठन नहीं किया गया था। तथापि जि.पं. बेलगॉव में जि.ज.स्व.मि. ने भी 2013-14 की समाप्ति तक एक भी बैठक नहीं की थी।
महाराष्ट्र	तीन जिलों (रायगढ़ बुलधाना तथा नागपुर) में कोई अलग जि.ज.स्व.मि. का गठन नहीं किया गया था तथा योजना मौजूदा जल प्रबंधन समिति तथा जिला कार्यकारी समिति द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। चार[7] ब्लॉक अनुसंधान केन्द्रों तथा आठ[8] समूह अनुसंधान केन्द्रों[9] में पर्याप्त रूप से स्टाफ नहीं था तथा मार्च 2014 को कमी क्रमश: 57 प्रतिशत तथा 67 प्रतिशत थी।
मणिपुर	भा.स. के पत्र (जुलाई 2010) के अनुसार, संचार तथा क्षमता विकास इकाई (सं.क्ष.वि.इ.) में राज्य समन्वयक, मा.सं.वि. विशेषज्ञ, सू.शि.सं. विशेषज्ञ, तथा मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन विशेषज्ञ होना चाहिए। लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि न तो राज्य समन्यक और न ही अभिकल्पित विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई थीं। विभिन्न ब्लॉकों में योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु विशेषज्ञों का एक दल, जबकि दिशानिर्देशों में अभिकल्पना की गई थी, भी गठित नहीं किया गया था।
पंजाब	योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिला, ब्लाक तथा ग्रा.पं. स्तर पर कोई अतिरिक्त स्टाफ संस्वीकृत/नियुक्त नहीं किया गया था।

[6] चित्रदुर्ग, देवनगिरी, मांडया, उत्तर कन्नड़, रायपुर तथा तुमकुर

[7] रायगढ़ जिला: ताला ब्ला.अ.के.; बुलघाना जिला: लोनार ब्लाक.अ.के.; नागपुर जिला: काटोल ब्ला.अ.के. तथा परभानी जिला: सायलू ब्ला.अ.के.

[8] बुलधाना जिला: लोनार एवं संग्रामपुर स.अ.के.; नांदेड़, जिला: नयगांव स.अ.के.; जलगांव जिला: अमलनेर स.अ.के.; नागपुर जिला: नारखेड़ स.अ.के.; हिंगोली जिला: औंधा नागनाथ एवं हिंगोली स.अ.के.; सतारा जिला: पाटन स.अ.के.

[9] समूह अनुसंधान केन्द्र ग्रा.पं.का एक समूह है।

इन महत्वपूर्ण मौलिक निकायों का गठन न करने तथा इनके द्वारा की जाने वाली बैठकों की विरलता एक कमजोर योजना तथा कार्यान्वयन की प्रगति, लक्ष्यों की अप्राप्ति का विश्लेषण, सुधार हेतु नीति निर्धारण आदि की अपेक्षा से कम की जा रही समीक्षा का द्योतक है, जो कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित हैं।

2.5.3 ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (ग्रा.ज.स्व.स.) का गठन न करना

ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति (ग्रा.ज.स्व.स.) का गठन कार्यक्रम के प्रयोजन, संघटन, कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षण के संबंध में सहायता प्रदान करने हेतु एक उप-समिति के रूप में किया जाना था। ग्रा.ज.स्व.स. को निर्मल ग्रामों हेतु विस्तृत तथा संतृप्त दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना प्रत्याशित था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 594510 ग्रामों, जिनमें योजना कार्यान्वित की जानी थी, में से 30 राज्यों के 51014 ग्रामों में ग्रा.ज.स्व.स. का गठन भी नहीं किया गया था। ब्यौरे **अनुबंध 2.8** में दिए गए हैं।

नमूना जांच की गई 509 ग्रा.पं. में से पांच राज्यों की 454 ग्रा.पं. (89 प्रतिशत) में ग्रा.ज.स्व.स. का गठन नहीं किया गया गया था जैसा नीचे **तालिका-2.1** में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका-2.1: उन ग्रा.पं. का विवरण जहॉ ग्रा.ज.स्व.सं. का गठन नहीं किया गया था

क्र.सा.	राज्य	नमूना जांच की गई ग्रा.प. की संख्या	ग्रा.पा. की संख्या जहॉ ग्रा.पं.स्व.स. गठन नहीं किया गया था
1.	जम्मू एवं कश्मीर	77	77
2.	कर्नाटक	129	115
3.	पंजाब	100	100
4.	राजस्थान	147	109
5.	पश्चिम बंगाल	56	53
	कुल	**509**	**454**

[स्रोत:नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित आंकड़े]

इसके अतिरिक्त, **उत्तर प्रदेश** में सभी 15 नमूना जांच किए गए जिलों में योजना को ग्रा.ज.स्व.स. के माध्यम से कार्यान्वित नहीं किया गया था तथा असम में ग्रा.ज.स्व.स. में पर्याप्त स्टाफ की तैनाती नहीं की गई थी। छत्तीसगढ की 102 ग्रा.पं. में न तो ग्रा.ज.स्व.स. का पंजीकरण किया गया था और न ही विशिष्ट उपनियम तैयार किए गए थे। ग्रा.पं. के सरपंच तथा सचिव समिति के क्रमश: अध्यक्ष तथा सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। **झारखण्ड** में मार्च 2014 तक छ: नमूना जांच किए गए जिलों में से तीन[10] में अभी भी 115 ग्रा.ज.स्व.स. का गठन किया जाना था।

2.5.4 जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन (ज.स्व.स.सं.) का गठन न करना

सभी राज्यों को राज्य स्तर पर सू.शि.सं., मा.स.वि. तथा मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (रा.ज.स्व.मि.) के अधीन जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन (ज.स्व.स.सं.) का गठन करना भी अपेक्षित था। राज्य हेतु संचार नीति ज.स्व.स.सं. द्वारा नियोजित की जानी थी तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु इसको नियमित रूप से मॉनीटर करना था। उन राज्यों जहॉ जल आपूर्ति एवं स्वच्छता को दो अलग विभागों द्वारा संभाला जाता है वहॉ ज.स्व.स.सं. के साथ एक संचार एवं क्षमता विकास इकाई (सं.क्ष.वि.इ.) को जोड़ा जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि चार राज्यों (**आन्ध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एवं**

[10] दुमका: 2664 ग्रामों में 2593 ग्रा.ज.स्व.स., गढ़वा: 848 ग्रामों में 812 ग्रा.ज.स्व.स. तथा रॉची: 1319 ग्रामों में 1311 ग्रा.ज.स्व.स.।

कश्मीर तथा मेघालय) में से किसी में भी ज.स्व.स.सं. का गठन नहीं किया गया था।

2.5.5 ब्लॉक अनुसंधान केन्द्र (ब्लॉ.अ.के.) का गठन न करना

जैसी दिशानिर्देशों में अभिकल्पना की गई थी जागरूकता उत्पन्न करने, प्रयोजन, संघटन, समुदायों ग्रा.पं. तथा ग्रा.ज.स्व.स. के प्रशिक्षण के संबंध में निरंतर सहायता प्रदान करने हेतु ब्लॉक अनुसंधान केन्द्रों (ब्ला.अ.के.) की स्थापना की जानी थी। ब्ला.अ.के. को साफ्टवेयर सहयोग के संबंध में जि.ज.स्व.मि. को एक विस्तारित सहयोगी के रूप में सेवा प्रदान करनी थी एवं जि.ज.स्व.मि. तथा ग्रा.पं./ग्रा.ज.स्व.स. के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना था।

हमने पाया कि 11 राज्यों में नमूना जांच किए गए 63 जिलों में से 58 जिलों में ब्ला.अ.के. की स्थापना नहीं की गई थी जैसा नीचे **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है:

चार्ट-2.3: ब्ला.अ.के. की स्थिति

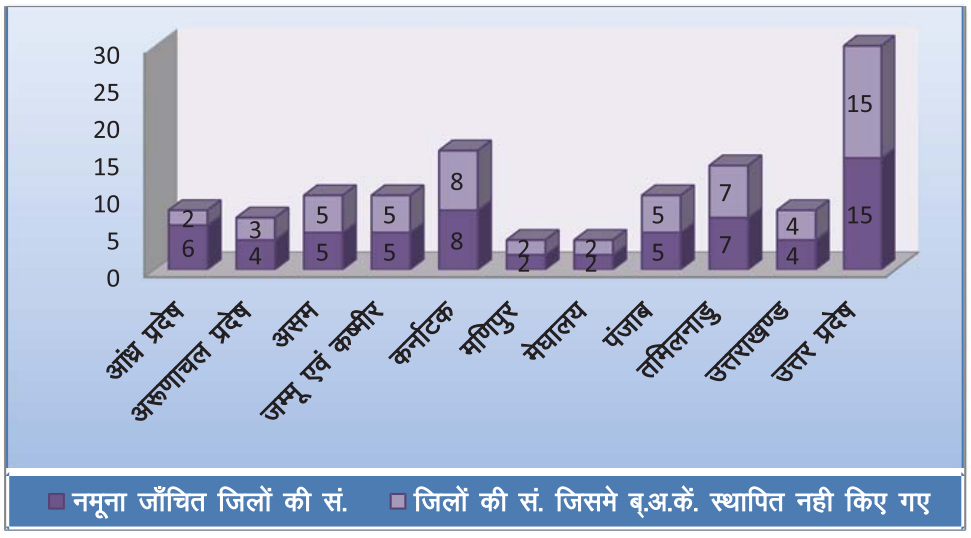

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित आंकड़े]

ब्यौरे **अनुबंध 2.9** में दिए गए हैं:

ब्ला.अ.के. के अभाव में, जि.ज.स्व.मि. तथा ग्रा.पं. के बीच कोई सम्पर्क नहीं था, इस प्रकार वह ग्राम समुदायों के बीच स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जागरूकता सृजन, प्रयोजन तथा संघटन में बाधा डाल रहा था।

अनुशंसाएं:

- **वा.का.यो. तथा प.का.यो. को ब्लॉक तथा जिला योजना में समेकित किए जाने हेतु मूलभूत स्तर से प्राप्त किया जाना चाहिए। प.का.यो. को स्वच्छता आदतों की नवीनतम स्थिति का पता लगाने हेतु घर-घर सर्वेक्षण करके आवधिक रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।**
- **योजना तथा मॉनीटर करने के लिए अपेक्षित संगठनात्मक व्यवस्था को भारत सरकार के स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां प्राप्त कर रहे सभी राज्यों में स्थापित किया जाना चाहिए।**